न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 42 / 2017 राजस्व अपील

1. कमोद पुत्र बंशी गुर्जर जाति गुर्जर निवासी पीपलकी तहसील सिकराय जिला दौसा
अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये उप तहसीलदार उप तहसील सिकन्दरा तहसील सिकराय जिला दौसा
रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय उप तहसीलदार सिकन्दरा निर्णय दिनांक 08.03.2016 प्रकरण उनवानी सरकार बनाम कमोद, प्रकरण सं. 429 / 2016 अन्तर्गत धारा 91 एलआरएक्ट।

उपस्थिति : श्री निर्मल कुमार शर्मा, अधिवक्ता अपीलान्ट उप0।
: श्री चन्द्रशेखर टापरिया, राजकीय अधिवक्ता उप0।

—: निर्णय :— दिनांकः 15. 01.2018

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार से है कि भूमि खसरा नम्बर 305 / 2 रकबा 5 बीघा चरागाह वाके ग्राम पीपलकी तहसील सिकराय जिला दौसा में स्थित है। इस भूमि का स्वरूप चरागाह जैसा नही रहा है, इस भूमि पर अपीलान्ट का कोई कब्जा काश्त नही है। उप तहसीलदार सिकन्दरा ने अपीलान्ट के विरूद्ध दिनांक 08.03.2016 को भू—राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए, अपीलान्ट अतिक्रमी को अतिक्रमित आराजी से दिनांक 08.03.2016 को बेदखल कर 50 गुणा शास्ति कायम करने के साथ ही 60 दिन के सिविल कारावास की सजा से भी दण्डित कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक 08.03.2016 से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पोडेन्ट की गई व अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब कर बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई।

बहस के दौरान अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्य दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का प्रश्नगत निर्णय विधि विरूद्ध एवं तथ्यो के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है। प्रश्नगत भूमि पर अपीलान्ट का कोई कब्जा नही है इसके बावजूद भी पटवारी हल्का द्वारा झूठी मौका रिपोर्ट पेश कर दि गई है। अधीनस्थ

अति0 जिला कलक्टर
दौसा

न्यायालय द्वारा मौके की वास्तविक स्थिति एवं अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज (कब्जा काश्त नही होने का शपथ पत्र) का अवलोकन नही करते हुए निर्णय पारित किया गया है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर प्रश्नगत निर्णय खारिज फरमाया जावे।

जवाब बहस के दौरान राजकीय अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपीलान्ट अतिक्रमी द्वारा ग्राम पीपलकी तहसील सिकराय में स्थित राजकीय चरागाह भूमि खसरा नंबर 305/2 रकबा 5 बीघा पर गेहू, जौ की काश्त, मकान निर्माण कर अतिक्रमण करने पर अपीलान्ट अतिक्रमी के विरूद्ध भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर दिनांक 08.03.2016 को अपीलान्ट अतिक्रमी को अतिक्रमित आराजी से बेदखल करने एवं 50 गुणा शास्ति कायम करने के साथ ही 60 दिन का सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट अनुसार अपीलान्ट पश्चातवर्ती अतिक्रमी है।

हमने बहस अधिवक्ता उभयपक्ष पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में प्राप्त अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से यह तथ्य प्रमाणित है कि पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट के विरूद्ध भू.राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर उक्त प्रश्नगत निर्णय पारित किया गया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार सिकन्दरा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08.03.2016 में कोई हस्तक्षेप किया जाना हम उचित नही समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार सिकन्दरा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08.03.2016 को यथावत रखते हुए अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

(राजवीर सिंह चौधरी)
अति0 जिला कलक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 15.01.2018को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

(राजवीर सिंह चौधरी)
अति0 जिला कलक्टर, दौसा